



राज्य आयुष समिति,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना

(निबंधन सं०-S000920/2017-18)

द्वितीय तल, पश्चिमी गाँधी मैदान, बिस्कोमान भवन, पटना-01

दूरभाष सं०-06122205133, वेबसाइट-http://ayush.bihar.gov.in, ई-मेल-biharayushsociety@gmail.com



विज्ञप्ति

विज्ञप्ति सं०-SASB/AYUSH/25/19- Part-I/143(SASB)

दिनांक-08.03.2021

राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में आयुष औषधियों (आयुर्वेद/यूनानी) का क्रय हेतु दर एवं आयुष औषधालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष औषधियों की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के Public Sector Undertaking (PSUs) एजेन्सी का चयन किया जाना है।

ऐसे औषधि निर्माताओं का चयन किया जाना है, जो निर्धारित आयुष औषधियों (आयुर्वेद/यूनानी) के EDL (Essential Drug List) के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के Public Sector Undertaking (PSUs) आयुष औषधियों का निर्माण एवं आपूर्ति करते हों। वैसे आयुष औषधि निर्माता जो प्रस्तावित क्रय की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, वे अपनी सहमति विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के कार्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/विशेष दूत के माध्यम से अथवा राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के ईमेल biharayushsociety@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिन औषधि निर्माताओं द्वारा निर्धारित अवधि में सहमति संसूचित की जायेगी, उन्हें EDL की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। EDL की सूची के आधार पर उन्हें निर्धारित अवधि में औषधियों का दर संसूचित करना होगा। सहमति पत्र के साथ निर्धारित शर्तों से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करना होगा। प्रस्तावित क्रय निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

1. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के Public Sector Undertaking (PSUs) होने का प्रमाण-पत्र एवं आयुष औषधि निर्माण का लाईसेंस देना होगा।
2. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के Public Sector Undertaking (PSUs) को अपना आयुष औषधि निर्माण यूनिट होने का प्रमाण-पत्र देना होगा एवं आयुष औषधि निर्माण की क्षमता का प्रमाण-पत्र देना होगा।
3. आवेदनकर्ता को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से Blacklisted नहीं होने का प्रमाण-पत्र देना होगा। विहित प्रपत्र राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
4. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के Public Sector Undertaking (PSUs) एजेन्सियों द्वारा आयुष औषधियों का पूर्व में किसी राज्य में आपूर्ति आवेदक एवं आपूर्ति करने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
5. आपूर्तिकर्ता को अपना नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नं०, ईमेल, GST No., PAN No., TAN No. एवं बैंक विवरणी सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से देना होगा। विहित प्रपत्र राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
6. आयुष औषधि निर्माण एजेन्सी को GMP (Good Manufacturing Practice) का प्रमाण-पत्र देना होगा।
7. आयुष औषधि निर्माणकर्ताओं को प्रस्तावित क्रय की प्रक्रिया में शामिल होने संबंधी सहमति पत्र राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के कार्यालय "द्वितीय तल, पश्चिमी गाँधी मैदान, बिस्कोमान टॉवर, पटना-800001" में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/विशेष दूत के माध्यम से अथवा राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के ईमेल biharayushsociety@gmail.com पर विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि को अपराह्न 05.00 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदकों की सूची निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि को अपराह्न 07.00 बजे राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
8. औषधि निर्माता के चयन की स्थिति में क्रयादेश औषधियों की गुणवत्ता की जांच राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार के प्रतिनिधि से कराये जाने के पश्चात् ही दी जायेगी।
9. न्यूनतम दर वाले चयनित औषधि निर्माता के दर पर यदि कोई प्रस्तावित क्रय प्रक्रिया में शामिल अन्य औषधि निर्माता औषधि आपूर्ति हेतु अपनी सहमति संसूचित करते हैं, तो उन्हें भी आवश्यकतानुसार क्रयादेश दिया जा सकेगा।
10. प्रस्तावित क्रय की प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई न्यायिक वाद बिहार राज्य के अन्तर्गत ही दायर किया जा सकेगा।
11. चयनित औषधि निर्माता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में औषधि क्रय हेतु अवधि विस्तार भी किया जा सकेगा।
12. क्रयादेश प्राप्त होने के पश्चात् औषधि निर्माता को 90 दिनों के अन्दर औषधियों की आपूर्ति सम्बन्धित जिलों में करनी होगी, अन्यथा निर्धारित दर का दस प्रतिशत की राशि विलम्ब शुल्क के रूप में कटौती कर ली जायेगी।
13. प्रस्तावित क्रय प्रक्रिया को चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को होगा।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक
राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना

ANNEXURE-I
AFFIDAVIT FOR NON BLACKLISTING

I _____ Executive
Director/Director/Partner/Proprietor of M/s. _____ having
its manufacturing Unit registered office at _____ do
hereby declare that the firm & its quoted product have not been blacklisted currently (as on the
date of submission of the rate) by Central Government/Central Government Agencies/any state
government/any of the state government agencies/any Drug Procurement Agencies or by Health
Department Government of Bihar.

If at any stage, it is found that the applicant has submitting forged/fabricated
certificates/documents/licenses and/or by concealing the fact about blacklisting/debarring/de-
registration of the firm by Govt. of India/Suspension/Cancellation/non-renewal of the
manufacturing license of the manufacturer, the rate contract may be rejected/terminated and
suitable punitive action may be taken against the applicant.

Date:

Signature

Seal:

(Authorized Signatory)
Name and Address of the Applicant/
Manufacturer

(Note: - This annexure must be sworn before First Class Magistrate/Notary)

SASB/AYUSH/25/19-part-1/143 (SASB)
08/03/2021

ANNEXURE – II**Applicant/Manufacturer Information/ Details**

Sl. No.	Name of the Particulars	The Applicant/Manufacturers shall fill required Information
1.	Name of the Applicant/Manufacturer	
2.	Registered Complete Address	
3.	Contact details of the supplier (Mobile/Phone No./ Fax/ email)	
4.	Name of Proprietor/ Managing Director/ Partners (as the case may be) with address	
5.	Name and designation of authorized signatory	
6.	Bank Details:- Name and address of Bank: Bank Account No.: IFSC Code of the Bank: (Copy Attached)	
7.	PAN No. & TAN No. (Copy Attached)	
8.	GST No. (Copy Attached)	

Date:-

Place:-

(Authorised Signature)

Name of the authorised signatory

With full address

SASB/Ayush/25/19-part-1/143(SASB)
08/03/2021